

न्यायिक सक्रयिता और न्यायिक संयम

संदर्भ:

न्यायपालिका को संवधान के अंतर्गत एक सक्रयि भूमिका सौंपी गई है। न्यायिक सक्रयिता और न्यायिक संयम उसी रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान के पहलू हैं।

- न्यायिक सक्रयिता की अवधारणा न्यायिक संयम के ठीक विपरीत है। न्यायिक सक्रयिता और न्यायिक संयम ऐसे दो शब्द हैं जिनका प्रयोग कुछ न्यायिक नरिण्यों के पीछे के दर्शन और अभिप्रेरणा का वर्णन करने के लिये किया जाता है। न्यायिक सक्रयिता नरिण्य के एक ऐसे सदिधांत को संदर्भित करती है जो वधि की भावना और बदलते समय पर विचार करती है, जबकि न्यायिक संयम वधि की कठोर व्याख्या और वधि पूर्व-दृष्टांत पर नरिभर करता है।

न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रयिता का आशय और परभाषा:

न्यायिक संयम (Judicial Restraint)

- न्यायिक संयम न्यायिक व्याख्या का एक सदिधांत है जो न्यायाधीशों को स्वयं अपनी शक्तियों के प्रयोग को सीमिति करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
 - यह जोर देता है कि जब तक वधियाँ स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हों, न्यायाधीशों को उन्हें नरिसत करने से बचना चाहिये।
 - न्यायिक संयम रखने वाले न्यायाधीश पूर्व के न्यायाधीशों द्वारा स्थापित उदाहरणों और उनके नरिण्यों का सम्मान करते हैं।
- 'न्यायिक संयम' शब्द की कई अलग-अलग परभाषाएँ दी गई हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

ऑबर्न विश्वविद्यालय (Auburn University)

- ऑबर्न यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 'Glossary of Political Economy Terms' में न्यायिक संयम को इस दृष्टिकोण के रूप में परभाषित किया गया है कि "उच्चतम न्यायालय (और अन्य नचिले न्यायालयों) को संवधान और वधियों में न्यायाधीशों को स्वयं के दर्शन या नीतितित प्राथमकताओं को पढने के बजाय जब भी युक्तपूर्वक संभव हो, वधि की व्याख्या करनी चाहिये ताकि संसद/कॉन्ग्रेस, राष्ट्रपति और राज्य सरकार जैसे अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा उनके संवैधानिक प्राधिकार के दायरे में लिये गए नीति-नरिण्यों पर किसी टपिपणी या अटकलों से बचा जा सके। इस तरह के दृष्टिकोण में न्यायाधीशों के पास नीति-नरिमाताओं के रूप में कार्य करने का जनादेश नहीं होता और उन्हें संघ सरकार और राज्यों के नरिवाचति 'राजनीतिक' अंगों द्वारा नीति-नरिमाण के मामले में लिये गए नरिण्यों का तब तक सम्मान करना चाहिये जब तक ये नीति-नरिमाता अमेरिकी संवधान और वभिन्न राज्यों के संवधानों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के दायरे में बने रहते हैं।"
- न्यायिक संयम न्यायिक समीक्षा के अभ्यास के लिये एक प्रक्रयितात्मक या सारभूत दृष्टिकोण है। एक प्रक्रयितात्मक सदिधांत के रूप में न्यायिक संयम न्यायाधीशों से वधि वधियों पर और वशिष रूप से संवैधानिक वधियों पर नरिण्यन से बचने का आग्रह रखता है, जब तक कि वरिधी पक्षों के बीच किसी ठोस वविवाद के समाधान के लिये ऐसा नरिण्यन आवश्यक न हो। सारभूत सदिधांत के रूप में यह संवैधानिक प्रश्नों पर वधिाररत न्यायाधीशों से अपेक्षा रखता है कि वे नरिवाचति संस्थाओं के वधिरों के प्रतपिर्याप्त सम्मान रखें और उनके कृत्यों को केवल तभी अमान्य घोषित करें जब उनके द्वारा संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया गया हो।
- न्यायालयों को नए वधिरों या नीतितित प्राथमकताओं को बढ़ावा देने के लिये न्यायिक समीक्षा का उपयोग करने से बचना चाहिये। संक्षेप में, न्यायालयों को वधि की व्याख्या करनी चाहिये और नीति-नरिमाण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
- न्यायाधीशों को नमिनलरिखति आधारों पर नरिण्य लेने का प्रयास करना चाहिये:
 - संवधान नरिमाताओं का मूल आशय।
 - पूर्व-दृष्टांत अर्थात् पूर्व के मामलों के नरिण्य।
 - न्यायालय को नीति-नरिमाण का कार्य दूसरों के लिये छोड़ देना चाहिये।
 - वे अपने नरिण्यों द्वारा नई नीतियों की स्थापना करने की प्रवृत्ति से स्वयं को रोकते हैं।
 - वे दृढता से संवधान के प्रावधानों के आधार पर नरिण्य लेते हैं।

न्यायिक सक्रयिता

- अनुच्छेद 21 में कहा गया है- 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।'
- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरह को खारजि कर दिया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिये न केवल वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये बल्कि यह प्रक्रिया नषिकष, तार्किक और न्यायसंगत भी होनी चाहिये। किसी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने पर अनुच्छेद 21 में सम्यक प्रक्रिया (Due Process) को शामिल करना होगा जिससे संवधान के नरिमाण के समय इसमें शामिल नहीं किया गया था।
- हालाँकि बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 में सम्यक प्रक्रिया की इस आवश्यकता को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार, सम्यक प्रक्रिया का उपखंड, जिससे संवधान नरिमाताओं द्वारा सतर्कतापूर्वक और जान-बूझकर छोड़ दिया गया था, उसे भारतीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रयिता के माध्यम से संवधान में शामिल कर दिया गया।
- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रयिता के एक और वृहत दौर का आरंभ तब हुआ जब इसने अनुच्छेद 21 में शामिल 'जीवन' (Life) शब्द की व्याख्या केवल जीवित रहने या जैविक अस्तित्व तक सीमिति रूप से करने की बजाय गरमिपूर्ण मानव जीवन के रूप में की।
- फ्रांसिस कोरली बनाम केंद्रशासित प्रदेश दलिली मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल पशुवत अस्तित्व तक सीमिति नहीं है। इसका अर्थ शारीरिक उत्तरजीविति (Physical Survival) से बढ़कर है।
- न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरमि के साथ जीने का अधिकार शामिल है। मानवीय गरमि के लिये बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा होना सबसे महत्त्वपूर्ण है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आवास, पढाई-लिखाई एवं वभिन्नि तरीकों से स्वयं को अभवियक्त करने की सुवधि, नरिबाध वचिरण और लोगों के साथ घुलने-मलिनने की स्वतंत्रता भी शामिल है।
- आर. राजगोपाल बनाम तमलिनाडु राज्य मामले में एक नए अधिकार 'नजिता के अधिकार' (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 में शामिल माना गया। न्यायालय ने कहा कि किसी नागरिक को अन्य वषियों के साथ स्वयं की, परिवार की, वविाह, संतानोत्पत्ति, मातृत्व, गर्भधारण, शकिषा आदि के संबंध में नजिता की रकषा का अधिकार प्राप्य है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह नरिणय भी दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत गरंटीकृत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। कपलिा हगोरानी बनाम भारत संघ मामले में भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंग के रूप में चहिनति किया गया जहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह राज्य का कर्तव्य है कि उन परस्थितियों में आजीविका के प्राप्य साधन उपलब्ध कराए जहाँ लोग भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
- न्यायालय ने यह भी माना है कि सुरकषति पेयजल का अधिकार मूल अधिकारों में से एक है जो जीवन के अधिकार में शामिल है। नषिकष सुनवाई (Fair Trial) का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चकितिसा देखभाल का अधिकार, जलकुंडों, तालाब, जंगल आदि का संरकषण (जो गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनश्चिति करते हैं), पारिवारिक पेंशन का अधिकार, वधिकि सहायता व वधिकि परामरशदाता पाने का अधिकार, यौन उत्पीडन के वरिद्ध सुरकषा का अधिकार, दुर्घटनाओं के मामले में चकितिसा सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के वरिद्ध सुरकषा का अधिकार, हथकडी और जंजीर से बंदी बनाए जाने के वरिद्ध सुरकषा का अधिकार, त्वरति सुनवाई का अधिकार, पुलसि अत्याचार, यातना और हरिसत में हसिा के वरिद्ध सुरकषा का अधिकार, कारावास नयिमों के अनुरूप साकषातकार देने और आंगंतुकों से मलि सकने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार आदि को अनुच्छेद 21 में अभवियक्त 'जीवन के अधिकार' में शामिल करने का नरिणय लिया गया।
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सेंटर फॉर एन्वायरनमेंट लॉ बनाम भारत संघ मामले में पर्यावरण संरकषण को अनुच्छेद 21 का अंग मानते हुए एशियाई शेरों के लिये एक दूसरा पर्यावास उपलब्ध कराने का नरिदेश जारी किया। इसी प्रकार ऐसे ही एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोने के अधिकार (Right to Sleep) को अनुच्छेद 21 का अंग बताया। अजय बंसल बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में फँसे व्यक्तियों के लिये हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का नरिदेश जारी किया।
- इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रयिता के कारण अनुच्छेद 21 से कई अधिकारों की उत्पत्ति हुई है। हालाँकि इनमें से कई आदेशों को लेकर व्यापक आशंकाएँ भी व्यक्त की गई हैं। अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होते अधिकारों की संख्या पर कोई सीमा आरोपित होगी या नहीं।
- भगवान दास बनाम दलिली राज्य मामले के नरिणय में उच्चतम न्यायालय ने 'ऑनर कलिंग' (Honour Killing) (अर्थात् जाति या धर्म या गोत्र से बाहर या स्वग्राम में वविाह करने वाले युवक-युवतियों की हत्या) के लिये मृत्युदंड को अनविर्य बना दिया और इस प्रकार माता-पिता या उनकी जाति के प्रति 'तरिस्कार' का भाव प्रकट किया।
- न्यायिक सक्रयिता का एक नवीनतम मामला अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ एवं अन्य का है। अरुणा शानबाग मुंबई के एक अस्पताल में कार्यरत नर्स थी जिस पर वर्ष 1973 में यौन हमला किया गया था और वह तब से कोमा में अथवा नषिकरयि अवस्था में पड़ी है। अरुणा के इसी अवस्था में बने रहने के 37 वर्षों बाद वर्ष 2011 में उसकी मतिर होने का दावा करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में याचिका देकर उसके लिये 'इच्छा मृत्यु' (Euthanasia) की मांग की, कति इस ऐतिहासिकि नरिणय में न्यायालय ने केवल नषिकरयि इच्छा मृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दी अर्थात् स्थायी रूप से कोमा में पड़े व्यक्तिका लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है जिसका अनुमोदन उच्च न्यायालय से प्राप्य करना होगा।

न्यायिक सक्रयिता बनाम न्यायिक संयम

- न्यायिक सक्रयिता (शथिलि संरचनावादी) और न्यायिक संयम (कठोर संरचनावादी) के बीच का अंतर संवधान की व्याख्या करने के तरीके पर नरिभर है। कोई कठोर संरचनावादी न्यायाधीश संवधान की शाब्दिक व्याख्या करते हुए अथवा संवधान नरिमाताओं की मूल मंशा का ध्यान रखते हुए मामलों का नरिणयन कर सकता है, जबकि कोई शथिलि संरचनावादी अथवा न्यायिक सक्रयितावादी न्यायाधीश संवधान के नरिमाण से लेकर वर्तमान समय तक आए परिवर्तनों का भी ध्यान रखते हुए वृहत तरीके से मामलों का नरिणयन कर सकता है।
- न्यायिक सक्रयिता और न्यायिक संयम दो वपिरीत दृष्टिकोण हैं। न्यायिक सक्रयिता और न्यायिक संयम किसी देश की न्यायिक प्रणाली से संबंधित हैं और वे सरकार या किसी भी संवधानिकि निकाय की शकतियों के मनमाने उपयोग के वरिद्ध नयितरण का कार्य करते हैं।
 1. न्यायिक सक्रयिता समकालीन मूल्यों और परदृश्यों की पैरोकारी के लिये संवधान की व्याख्या है। दूसरी ओर, न्यायिक संयम किसी वधिको नरिसूत करने की न्यायाधीशों की शकतियों को सीमिति करता है।
 2. न्यायिक संयम में न्यायालय संसद और राज्य वधानमंडलों के सभी वधानों की पुष्टि करता है यदि वे देश के संवधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

- न्यायिक संयम में न्यायालय सामान्यतः संसद या किसी अन्य संवैधानिक निकाय द्वारा प्रस्तुत संविधान की व्याख्याओं का सम्मान करते हैं।
3. न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रियता के मामले में न्यायाधीशों को किसी अन्यायपूर्ण कृत्य में सुधार के लिये अपनी शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब अन्य संवैधानिक निकाय कार्य नहीं कर रहे हों। इसका आशय यह है कि वियक्तगत अधिकारों की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों, सार्वजनिक नैतिकता और राजनीतिक भेदभाव जैसे विषयों पर सामाजिक नीतियों को आकार देने में न्यायिक सक्रियता की अहम भूमिका है।
 4. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के लक्ष्य अलग-अलग हैं। न्यायिक संयम सरकार के तीनों अंगों- न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। न्यायिक संयम के मामले में न्यायाधीश और न्यायालय प्रवर्तित विधियों को संशोधित करने के बजाय उनकी समीक्षा को प्रोत्साहित करते हैं।
 5. न्यायिक सक्रियता के लक्ष्यों पर विचार करें तो यह कुछ अधिनियमों या नरिण्यों को नरिस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिये उच्चतम न्यायालय या अपीलीय न्यायालय पूर्व के नरिण्यों को पलट सकते हैं यदवि दोषपूर्ण हों। यह न्यायिक प्रणाली नरिंत्रण और संतुलन का भी कार्य करती है और सरकार के तीनों अंगों- न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को असीमति शक्तिशाली बनने से रोकती है।
 6. न्यायिक संयम में न्यायाधीश संविधान नरिमाताओं की मूल मंशा पर विचार करते हैं जबकि न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीश संविधान नरिमाताओं की मूल मंशा के परे जाकर विचार करते हैं (क्योंकि अंततः संविधान नरिमाता भी मनुष्य थे और उनसे भी भूल हो सकती है)।
 7. न्यायिक संयम का दृष्टिकोण रखने वाले न्यायाधीश अपने नरिणयन में विधि नरिमाताओं (Legislatures) के उद्देश्यों व अधिनियम की भाषा पर विचार करते हैं और संविधान की मूल भाषा में परिवर्तन का अवसर केवल संविधान संशोधन के आधार पर देते हैं।

नष्कृष

- जब न्यायाधीश यह मानने लगते हैं कि वे समाज की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं और इस दृष्टिकोण से विधायिका व कार्यपालिका के कार्य भी स्वयं करने लगते हैं (क्योंकि उन्हें लगता है कि विधायिका व कार्यपालिका अपने कर्तव्य नरिर्वहन में विफल रहे हैं) तब विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- नश्चय ही न्यायाधीश कुछ चरम मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन समाज की सभी प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिये उनका आगे आना अनुपयुक्त है क्योंकि इसके लिये न तो उनके पास विशेषज्ञता होती है और न ही संसाधन होते हैं।
- इसके साथ ही जब न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगती है तो परिहार्य रूप से इस पर राजनेताओं एवं अन्य की तीखी प्रतिक्रिया आती है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/judicial-activism-and-judicial-restraint>

